न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी

आशीष गुप्ता
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 53 / प्रा.पत्र / 2020 (GCMS No. 2020 / 00073)	24.08.2020	20.10.2020

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

नन्दा आ0 चतरा, जाति भील,
निवासी मोतीपुरा (मेघारावत की झौपडिया)
तहसील एवं जिला बून्दी

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू अधिनियम
(कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम,1970)

उपस्थित—
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र नन्दा आ0 चतरा जाति भील निवासी ग्राम मोतीपुरा को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 193 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा वाकेग्राम मोतीपुरा आवंटन आदेश दिनांक 18.01.1983 को निरस्त किये जाने हेतु नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयाजनार्थ आवटन नियम,1970) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। मूल आवंटन पत्रावली प्रार्थना पत्र के संलग्न प्राप्त हुई।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर, दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को वास्ते जवाब जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी दिनांक 14.9.20 को स्वयं उपस्थित न्यायालय आया, किन्तु बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने के कारण दिनांक 05.10.2020 को अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

जिला कलेक्टर, बून्दी

बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी ।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी को दिनांक 18.01.1983 को आवंटन की गई थी, आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन अधिनियम,1970 के नियम 14(3) के अनुसार आवंटी को आवंटन के प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत तथा शेष द्वितीय वर्ष में काश्त किया जाना आवश्यक है। आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना प्रमाणित है। ऐसे में आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की जावें।

न्यायालय ने पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं बहस पर गहनता से मनन किया। आवंटी नन्दा आ0 चतरा जाति भील निवासी ग्राम मोतीपुरा को मिसल संख्या 184/83 दिनांक 18.01.1983 को ग्राम मोतीपुरा की आराजी खसरा संख्या 193 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा भूमि का आवंटन किया जाना प्रकट है। मौका पर्चा ग्रामवासियान् एवं रिपोर्ट पटवारी, पटवार हल्का नीम का खेडा तथा तहसीलदार बून्दी की रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं है। आवंटी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना प्रमाणित होता है। आवंटी द्वारा आवंटन में रूचि नहीं लेने से कृषि प्रयोजनार्थ किया गया उक्त आवंटन निरर्थक हो जाता है, इस प्रकार भूमि आंवटन का उद्देश्य पूर्ण नहीं होने से उक्त आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है।

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बून्दी (राज.)

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा नन्दा आ0 चतरा जाति भील निवासी ग्राम मोतीपुरा को मिसल सं. 184/83 दिनांक 18.01.1983 को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 193 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा (वर्तमान रकबा 1.2302 हैक्टेयर) ग्राम मेघारावत की झौपडिया (मोतीपुरा नवीन ग्राम) निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बून्दी उक्त आराजी को अविलम्ब नियमानुसार कब्जे सरकार लेकर **सिवायचक** दर्ज रेकार्ड करने की कार्यवाही करे।

आदेश आज दिनांक 20.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी